FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

केशी देवी बनाम पन्नाराम आदि

किस्म मुकदमा 11/128 KLR act नं. 110/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.3.21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री अर्जुनसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 11/128 KLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/05/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
04/05/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/08/2021 को पेश हो। ह/	
06/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगण अनुपस्थित/ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से [illegible] होकर आगामी दिनांक [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:54 IST
Reason: SelfAttested

सेवा में [illegible]

12/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 07/12/2021 को पेश हो।

07/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 23/12/2021 को पेश हो।

23/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि डोल मेढ़ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी माढे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढों को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढों का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू०अभिलेख-निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी [illegible] जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल [illegible] मिसल शुमार होकर दर्ज ताम[illegible] इस है [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1484 दिनांकः– 23/12/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. केशी देवी पत्नि बादराराम जाति कुम्हार निवासी दानाणियों की ढाणी, सोमेसरा तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. पबाराम पुत्र मोमताराम वगैरा 7 जाति कुम्हार निवासी दानाणियों की ढाणी, सोमेसरा तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन सं० 110/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–दानाणियों की ढाणी पटवार हल्का–नोसर तहसील बायतु जिला–बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 586/513 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बन्धित भु.अ.नि. को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता हैं कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरिक्षक से दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क 500/– जमा करवाकर करें। एंव पालना रिपोट पेंश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर

दिनांकः– 23/12/2021

क्रमांक / वाद / 2021 / 1485 – 1489

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी केशी देवी पत्नि बादराराम
4. पबाराम पुत्र मोमताराम वगैरा 7
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु